छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492099

कार्यालय आदेश

क्रमांक 1491 /मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 4/6/2016 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यालयीन आदेश कमांक 5736, दिनांक 24/02/2016 के द्वारा हरी श्रेणी के अंतर्गत् आने वाले उद्योगों की सूची जारी की गई थी। इस बीच केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(b) के अंतर्गत् दिनांक 07/03/2016 को जारी निर्देश के अनुसार मंडल को लाल / नारंगी / हरा / सफेद श्रेणी में वर्गीकरण के लिए संशोधित मापदण्ड के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण किया जाना है। उक्त निर्देश के परिपालन में मंडल द्वारा उक्त आदेश में उल्लेखित हरी श्रेणी के उद्योगों की सूची को अतिकमित करते हुए नई सूची जारी की जाती है, जो **संलग्नक–एक** अनुसार मानी जावेगी।

टीप :–

विशेष प्रकरणों में, जिसमें उद्योग लाल, नारंगी, हरी एवं सफेद श्रेणी के सूचीबद्ध उद्योगों की श्रेणी में न आता हो तो ऐसे उद्योग के वर्गीकरण बाबत् अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

4/6/16
सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक1492/मुख्यालय/छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 4/6/2016

प्रतिलिपि :– 1. सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/ दुर्ग–भिलाई/ बिलासपुर/ कोरबा/ रायगढ़/ अंबिकापुर/ जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4/6/16
सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

संलग्नक–एक

हरी श्रेणी के उद्योगों की सूची

कमांक	नाम
1.	एल्युमिनियम सर्कल से एल्युमिनियम के बर्तन बनाना (ड्राई मेकेनिकल ऑपरेशन)।
2.	आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक दवाईयॉ (बिना बॉयलर)।
3.	बेकरी/कन्फेक्शनरी/मिठाई उत्पादन (उत्पादन क्षमता 01 टन/दिन से कम एवं गैस अथवा विद्युत चलित भट्ठी द्वारा)।
4.	बाई–एक्सली ओरिएन्टेड पीपी फिल्म मेटेलाईजिंग ऑपरेशन के साथ।
5.	बायोमास ब्रिकेट्स (सन ड्राईंग) परिसंकटमय अथवा विषाक्त अपशिष्ट उपयोग किये बिना।
6.	मेलामाईन रेजिंन्स एवं अन्य पाउडर की ब्लेन्डिंग (केवल फिजिकल मिक्सिंग के द्वारा)।
7.	सर्कल से ब्राश एवं बेल मेटल के बर्तन बनाना (रि रोलिंग प्रकिया के बिना)।
8.	केण्डी
9.	कार्ड बोर्ड अथवा करोगेटेड बॉक्स एवं पेपर उत्पाद (पेपर एवं पल्प निर्माण को छोड़कर एवं बॉयलर के उपयोग के बिना)।
10.	विद्युत चलित मशीनों यथा इलेक्ट्रिक वुड प्लानर, स्टील सॉ कटिंग सर्कुलर ब्लेड अन्य द्वारा कारपेन्ट्री एवं लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण (सॉ मिल को छोड़कर)।
11.	सीमेंट उत्पाद (एस्बेस्टॉस/बॉयलर/स्टीम क्यूरिंग के उपयोग के बिना) यथा पाईप, पिलर, जाफरी, वेल रिंग, ब्लाक/टाईल्स आदि (निर्माण कार्य बंद ढ़के हुये क्षेत्र में फ्यूजिटिव उत्सर्जन नियंत्रण के लिए किया जाना चाहिए)।
12.	सेरेमिक कलर बनाना (बॉयलर का उपयोग किये बिना एवं दूषित जल का पुनःउपयोग प्रकिया में करने के पश्चात्)।
13.	चिलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज एवं बर्फ निर्माण।
14.	कोक ब्रिकेटिंग (सन ड्रॉईंग)।
15.	कॉटन स्पीनिंग एवं विविंग (लघु श्रेणी)।
16.	दाल मिल।
17.	इलेक्ट्रिक फर्नेश द्वारा सेरेमिक कप एवं प्लेट का डेकोरेशन।
18.	पीव्हीसी क्लॉथ पर डिजिटल प्रिंटिंग।
19.	बल्क में फुड ग्रेन्स के हथालन, भण्डारण एवं परिवहन की सुविधा।
20.	आटा चक्की (शुष्क प्रक्रिया)।
21.	ग्लास, सेरेमिक एवं मिट्टी के बर्तन एवं टाईल उत्पादन (विद्युत चलित किल्न के उपयोग से एवं जीवाश्म ईंधन किल्न के उपयोग के बिना)।
22.	गैस/विद्युत चलित फर्नेश/बॉयलर द्वारा स्टार्च से ग्लू निर्माण (फिजिकल मिक्सिंग)।
23.	गोल्ड एवं सिल्वर स्मिथी (एसिड के द्वारा प्युरीफिकेशन, स्मेल्टिंग ऑपरेशन एवं सल्फ्यूरिक एसिड पॉलिशिंग ऑपरेशन) (01 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड/नाईट्रिक एसिड प्रतिमाह अथवा इससे कम उपयोग होने की दशा में)।
24.	किसी भी नई तकनीक यथा अल्ट्रा साऊण्ड प्रोब, इण्डक्शन हार्डनिंग, ऑयोनाईजेशन बिम, गैस कार्बोराईजिंग आदि द्वारा हीट ट्रीटमेंट।
25.	इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर निर्माण (पेपर एवं पल्प मेन्युफेक्चरिंग को छोड़कर)।
26.	लेदर फुटवेयर एवं लेदर उत्पाद (केवल कुटीर उद्योग श्रेणी के टेनिंग एवं हाईड प्रोसेसिंग को छोड़कर)।
27.	ल्युब्रिकेटिंग ऑयल्स, ग्रीस एवं पेट्रोलियम आधारित उत्पाद (केवल सामान्य तापक्रम पर

	ब्लेण्डिंग)।
28.	पेस्टेड विनर्स निर्माण (गैस फायर्ड बॉयलर अथवा थर्मिट फ्लुइड हीटर का उपयोग किये बिना अथवा सूर्य के प्रकाश में सुखाकर)।
29.	ऑयल मिल घानी एवं निष्कर्षण (हाइड्रोजनेशन/रिफाइनिंग के बिना)।
30.	नॉन एस्बेस्टॉस फाईबर, वेजिटेबल फाईबर यार्न से पैकिंग मटेरियल का निर्माण।
31.	फिनायल/टायलेट क्लीनर फार्मुलेशन एवं बॉटलिंग।
32.	पॉलीथीन एवं प्लास्टिक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स निर्माण (वर्जिन प्लास्टिक)।
33.	पोल्ट्री, हेचरी एवं पिगरी।
34.	पॉवर लूम (डॉईंग एवं ब्लीचिंग के बिना)।
35.	पफ्ड राईस (मुर्री) (तेल, गैस अथवा बिजली चलित हीटिंग सिस्टम के द्वारा)।
36.	बम्बू एवं स्क्रेप वुड का पल्वराईजेशन।
37.	रेडी मिक्स सीमेंट कॉकिट।
38.	रिप्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट कॉटन।
39.	राईस मिल (राईस हालर्स)।
40.	रोलिंग मिल (गैस फायर्ड) एवं कोल्ड रोलिंग मिल।
41.	रबर गुड्स इण्डस्ट्रीज (केवल बेबी बॉयलर द्वारा)।
42.	सॉ मिल।
43.	सोप मेन्युफेक्चरिंग (हेण्डमेड, स्टीम बॉयलिंग/बॉयलर के बिना)।
44.	स्पाईस ग्राईंडिंग (20 एचपी मोटर)।
45.	स्पाईस ग्राईंडिंग (20 एचपी मोटर)।
46.	बिना स्प्रे पेन्टिंग के स्टील फर्नीचर का निर्माण।
47.	स्टीपिंग एण्ड प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स।
48.	टायर एण्ड ट्यूब रिट्रेडिंग (बॉयलर के बिना)।
49.	अमोनिया का उपयोग किये बिना चिलिंग प्लांट एवं बर्फ का उत्पादन।
50.	कार्बन डाय आक्साईड की रिकव्हरी।
51.	डिस्टिल वॉटर (बॉयलर के बिना) एवं विद्युत का उपयोग ऊष्मा के स्त्रोत के रूप में करने पर।
52.	होटल (बीस कमरे तक एवं बॉयलर के बिना)।
53.	ऑप्टिकल लैंस का निर्माण (इलेक्ट्रिकल फर्नेश के उपयोग द्वारा)।
54.	मिनरलाईज्ड वॉटर।
55.	टेमरिण्ड पाउडर निर्माण।
56.	मार्बल स्टोन की कटिंग, साईजिंग एवं पॉलिशिंग।
57.	इमरी पाउडर (रेत के बारिक कण) निर्माण।
58.	फ्लाई एश एक्सपोर्ट, ट्रॉन्सपोर्ट एवं डिस्पोजल फेसिलिटी।
59.	मिनरल स्टाक यार्ड/रेल्वे साईडिंग।
60.	ऑयल एवं गैस ट्रॉन्सपोर्टेशन पाईप लाईन।
61.	स्टीम हीटेड चेम्बर में वुड सिजनिंग।
62.	सिन्थेटिक डिटर्जेंट फार्मुलेशन।
63.	टी प्रोसेसिंग (बॉयलर के बिना)।

4/6/16

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,